भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
SEEPZ Special Economic Zone Authority
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

F. No. **E-FNC/225/2022-EF**/10662

Date: 12-08-2025

परिपत्र संख्या 12 दिनांक 12.08.2025

Circular No. 12 Dated 12.08.2025

विषय:सीप्ज़-सेज़ के अंतर्गत एसडीएफ-I से VI और जी एंड जे कॉम्प्लेक्स I,II और III में सभी मौजूदा परिचालन इकाइयों में उप-पट्टा किराए का मानकीकरण।

Sub: Standardization of Sub - Lease rent across all existing operational units in SDF-I to VI and G & J Complex I,II and III within SEEPZ-SEZ.

परिपत्र संख्या 13 दिनांक 10.01.2024 के स्थान पर, जिसमें पट्टा किराए में संशोधन का उल्लेख किया गया था, SEEPZ-SEZ प्राधिकरण ने SDF-I से VI और रत्न एवं आभूषण परिसर I, II और III में सभी वर्तमान कार्यरत इकाइयों के लिए पट्टा किराए के मानकीकरण को मंजूरी दी है। यह निर्णय 28.05.2025 को आयोजित 73वीं प्राधिकरण बैठक में लिया गया था।

सभी परिचालन इकाइयों के लिए लीज़ किराया संरचना में एकरूपता और मानकीकरण लाने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि ₹2,037 प्रति वर्ग मीटर की निम्न दर को अगले चार वर्षों तक हर वर्ष 15.66% की वृद्धि के साथ संशोधित किया जाएगा। यह क्रमिक वृद्धि तब तक जारी रहेगी जब तक कि लीज़ किराया ₹3,645.54 प्रति वर्ग मीटर के मानकीकृत दर तक नहीं पहुँच जाता (यह वही दर है जो वे इकाइयाँ चार वर्षों के बाद 5% वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर ₹2,999.20 प्रति वर्ग मीटर भुगतान कर रही होंगी)। एक बार जब यह मानकीकृत दर (₹3,645.54 प्रति वर्ग मीटर) प्राप्त हो जाती है, तो उसके बाद सभी इकाइयों पर 5% की एक समान वार्षिक वृद्धि लागू की जाएगी। इस उपाय का उद्देश्य पट्टा किराया नीति में एकरूपता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।

यह संशोधित किराया संरचना केवल उन

In supersession of Circular No. 13 dated 10.01.2024 regarding lease rent revision, the SEEPZ-SEZ Authority has approved the **standardization of lease rent** across all existing operational units in SDF-I to VI and Gem & Jewellery Complex I, II, and III. The decision was taken during the **73rd Authority Meeting held on 28.05.2025**.

In order to bring uniformity and standardization in the lease rent structure across all operational units, it has been decided to revise the lower lease rent of ₹2,037 per sq. m. by applying an increase of **15.66% every year for four years.** This periodic increment will continue until the lease rent reaches a standardized rate of ₹3645.54 per sq. m. (which is equal to the rent to be paid after four years, by units who are now paying 2999.2 per sq. m. at 5% annual escalation) Once this standard rate (₹3645.54 per sq. m.) is achieved, a uniform **annual escalation of 5%** will be implemented. This measure is aimed at ensuring consistency and fairness in the lease rent policy.

इकाइयों पर लागू होगा जो वर्तमान में चालू है। रिक्त इकाइयाँ अभी भी ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से दी जाएँगी ताकि उचित और पारदर्शी दर की खोज सुनिश्चित की जा सके।

This revised rent structure will apply **only to units that are currently operational. Vacant units** will continue to be given through the **e-auction process** to ensure fair and transparent rate discovery.

तदनुसार, 1 अप्रैल 2025 से किराया निम्नानुसार होगा

Accordingly, the rent w.e.f. 1st April 2025, would be as follows:

Building/ Plots	Current lease rent p.a. per sq.mtr (2025-26)	% increase (Annually)
Govt. Plots/ SDF-VII/Multistoried Bldg/ Tower I & II & SEEPZ++ Plots	Rs. 127.33	5%
SDF-I To SDF IV, G&J Complex I to III	Rs. 2037	15.66% for 4 years and 5% thereafter
	Rs. 2999.2	5%
SDF VIII	Rs. 4630.5	5%
BFC	Rs. 7243.25	5%
NEST 1 & NEST II (shift from SDF-I to NEST I & II)	Rs. 4750	5%

* Special case: As approved by SEEPZ SEZ Authority, at agenda point point no. 20 of 63rd Authority meeting, the current rent of M/s. Jewelex India Pvt. Ltd for the said premises (ICH canteen only) stands unchanged and an increment of 5% per annum is applicable for the lease period.

इसे SEEPZ-SEZ प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This issues with approval of Chairperson of SEEPZ-SEZ Authority.

Digitally signed by
Mayur Ramesh Mankar
Date: 12-08-2025
15:43:35

(मयूर मानकर)
संयुक्त विकास आयुक्त

सीप्ज़-सेज़, प्राधिकरण

प्रतिलिपि,
1. सभी यूनिटधारक, सीप्ज़-सेज़
2. कार्यालय आदेश फ़ाइल
3. कार्यालय आदेश रजिस्टर
4. डीसीओ और जेडीसीओ, डीडीसीओ, सीप्ज़-सेज़
5.आईए-I अनुभाग, सीप्ज़-सेज़
6.कानूनी अनुभाग, सीप्ज़-सेज़
7. ईआरपी, सीप्ज़-सेज़